न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 25/2019

1 सुन्दर देवी पत्नी शंकरलाल।
2 बाबूलाल पुत्र शंकरलाल।
3 संदीप पुत्र शंकरलाल।
4 धन्नाराम उर्फ धनराज पुत्र बजरंगलाल।
5 रामवतार पुत्र बजरंगलाल।
6 राधेश्याम पुत्र बजरंगलाल समस्त जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड नम्बर 20 आनन्दपुरा मोहल्ला मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।
2 राजूलाल उर्फ राजकुमार पुत्र बजरंगलाल।
3 अशोक पुत्र शंकरलाल।
4 सज्जन पुत्र शंकरलाल।
5 दिनेश पुत्र शंकरलाल समस्त जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड नम्बर 20 आनन्दपुरा मोहल्ला मण्डावा तहसील व जिला झुंझुनू।

BdL

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

प्रथम अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी झुंझुनू उनवानी मुकदमा राजस्थान सरकार
बनाम लादिया आदि मुकदमा नम्बर 27/2004 अन्तर्गत
धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय
दिनांक 02.04.2005

उपस्थिति :

1. श्री सुभाषचन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नन्दकिशोकर सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 13.12.23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 27/2004 में पारित निर्णय दिनांक 02.04.2005 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार झुंझुनू ने ग्राम कुहाडू तहसील झुंझुनू की भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा के सन्दर्भ में धारा 175 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर धारा 42ख का उल्लघन होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि सिवाय चक घोषित करने का निवेदन किया है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि बजरंगलाल की खातेदारी की थी। विरासत में अपीलांट व

BDL

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 को प्राप्त होकर विरासतन नामान्तकरण दर्ज हुआ है। विचारण न्यायालय नें दावा दायरी के काफी समय पूर्व बजरंगलाल का देहान्त हो चुका था। विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विधि अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय नलिटी की श्रेणी में आता है। विचारण न्यायालय में बजरंगलाल के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया। अत अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से अपीलांट का आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जावें। विचारण न्यायालय ने अपीलांट पक्षकार नही थे। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही थी। विधिवत विभाजन हेतु पटवारी से नकल प्राप्त करने पर विचाराधीन निर्णय की जानकारी हुई है। इस पर जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावें। झुंझुनू जिले में सर्वप्रथम बने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में उक्त भूमि कब्जा काश्त के आधार पर बजरंगलाल की टीनेन्सी में दर्ज हुई जो निरन्तर उसकी मृत्यु तक उसकी टीनेन्सी में दर्ज होती रही बजरंगलाल की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि मृतक बजरंगलाल के उत्तराधिकारी होने के कारण जरिये विरासतन नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 21.12.2004 को शंकरलाल, अपीलांट संख्या 4 से 6 रेस्पोडेंट संख्या 2 एवं मृतक बजरंगलाल की पत्नी श्रीमती प्रेम की टीनेन्सी में दर्ज हुई उक्त प्रेम का देहान्त हो चुका है उसके हिस्से की भूमि भी उत्तराधिकार में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 को मिली, शंकरलाल का भी देहान्त हो चुका है उसके वारिसान अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 व रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 5 है इस प्रकार विवादित भूमि किसी भी अनुसुचित जाति के सदस्य लादिया नाम के व्यक्ति की नही रही, न वह टीनेन्ट हुआ बल्कि संवत 2012 के राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि बजरंगलाल की टीनेन्सी में दर्ज थी जो निरन्तर उसकी टीनेन्सी में दर्ज होती रही व वह बतौर टीनेन्ट काबिज काश्त रहा, बजरंगलाल की मृत्यु के पश्चात अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 काबिज हुये। ग्राम कुहाडू में लादिया पुत्र दाना चमार नाम

BdL

का कोई भी व्यक्ति नहीं था नही उसका घर अथवा गुवाड़ी ग्राम में मौजूद है न ही उसके वारिसान इस गांव में निवास करते है राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में उक्त तथाकथित लादिया का कही भी नाम दर्ज नही है न वह उक्त भूमि का टीनेन्ट रहा, न कब्जा रहा। जब इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था तो उसका टीनेन्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तथाकथित लादिया के अस्तित्व बाबत कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया, न ही ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश किया जो राजस्व रिकार्ड पेश हुआ वह समस्त मृतक बजरंगलाल के नाम से बना हुआ है तथाकथित लादिया का विवादित भूमि से कोई भी सम्बंध व कब्जा नहीं होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने बिना आधार के विवादित भूमि को अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि मानने में व उसके आधार पर अपीलाधीन आदेश देने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2020(2) पेज 791, आर.आर.डी. 1992 पेज 239, आर.आर.डी. 1992 पेज 17, आर.आर.डी. 1994 पेज 604, आर.आर.डी. 1994 पेज 606, आर. आर.डी. 1992 पेज 117, आर.आर.डी. 1992 पेज 545, आर.आर.टी. 2006(1) एस.सी. पेज 383, आर.एल.डब्ल्यू 2011(1) पेज 321, आर.आर.डी. 1993 पेज 783 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का युक्ति संगत कारण अंकित नही किया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन व विवेचन कर विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत रूप से पारित किया है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि बजरंगलाल की खातेदारी की थी। विरासत में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5 को प्राप्त होकर विरासतन नामान्तकरण दर्ज हुआ है। विचारण न्यायालय में बजरंगलाल के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया। अत अपीलांट प्रभावित पक्षकार होने से अपीलांट का आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमती दी जाती है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट पक्षकार नही थे। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नही थी। विधिवत विभाजन हेतु पटवारी से नकल प्राप्त करने पर विचाराधीन निर्णय की जानकारी होने का कथन किया गया है। इस जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है। इसके खण्डन में पत्रावली पर कोई साक्ष्य नही है। अत न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में झुंझुनू जिले में सर्वप्रथम बने राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में उक्त भूमि कब्जा काश्त के आधार पर बजरंगलाल की टीनेन्सी में दर्ज हुई जो निरन्तर उसकी मृत्यु तक उसकी टीनेन्सी में दर्ज होती रही बजरंगलाल की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि मृतक बजरंगलाल के उत्तराधिकारी होने के कारण जरिये विरासतन नामान्तकरण संख्या 4 दिनांक 21.12.2004 को शंकरलाल, अपीलांट संख्या 4 से 6 रेस्पोडेंट संख्या 2 एवं मृतक बजरंगलाल की पत्नी श्रीमती प्रेम की टीनेन्सी में दर्ज हुई उक्त प्रेम का देहान्त हो चुका है उसके हिस्से की भूमि भी उत्तराधिकार में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 को मिली, शंकरलाल का भी देहान्त हो चुका है उसके वारिसान अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 व रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 5 है इस प्रकार विवादित भूमि किसी भी अनुसुचित जाति के सदस्य लादिया नाम के व्यक्ति की नही रही, न वह टीनेन्ट हुआ बल्कि संवत 2012 के राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि बजरंगलाल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(झुन्झुनूं)

की टीनेन्सी में दर्ज थी जो निरन्तर उसकी टीनेन्सी में दर्ज होती रही व वह बतौर टीनेन्ट काबिज काश्त रहा, बजरंगलाल की मृत्यु के पश्चात अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 5 काबिज हुये। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2012 से 2015 में उक्त तथाकथित लादिया का कही भी नाम दर्ज नही है विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तथाकथित लादिया के अस्तित्व बाबत कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया, न ही ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश किया एवं राजस्व रिकार्ड पेश हुआ वह समस्त मृतक बजरंगलाल के नाम से बना हुआ है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन मियाद बाहर था। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन में वादी ने विवादित भूमि के हस्तान्तरण की जानकारी की दिनांक बिन्दु संख्या 6 में 10.10.1959 अंकित की है। विचारण न्यायालय में वादी द्वारा यह आवेदन दिनांक 06.07. 2002 को प्रस्तुत किया गया है अर्थात जानकारी से 43 साल बाद आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। इस सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2006 (1) पेज 383 में अभिनिर्धारित किया है कि " **Rajasthan Tenancy Act. 1955-Secs. 175,42(b), 214& Schedule III, Clause 66 (As stood prior to amendment)- Suit for ejectment & possession of land- Land of members of Schedure Caste – Transfre of land in favour of persons of higher caste- period of limitation for ejectment & possession was 12 years before amendment – Land transferred on 2-4-1964 & 4-5-1964 – Application filed u/Sec. 175 (4-A) on 22-11-1976- Held, Application was barred by limitation.** इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचारण न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन आवेदन स्पष्ट रूप से परिसीमा बाधित होना प्रमाणित है। ऐसी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

स्थिति में भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में दावा दायरी के काफी समय पूर्व बजरंगलाल का देहान्त हो चुका था। विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व विचाराधीन निर्णय पारित किया है। विधि अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित निर्णय नलिटी की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.12.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर